आदेश

जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग– तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग क निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.52 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.04 है0 सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत के अनुरोध के कम में उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट द्वारा अपने पत्र संख्या 402/एस0टी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2023, दिनांक 09 जनवरी,2023 एवं पत्र संख्या 05/र0का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2023 दिनांक 31–10–2023 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, खतौनी,खसरा एवं नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/118/2018/एफ.सी./1400 दिनांक 29–09–2020 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक– वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुन्थारी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र मल्ली मिरई, तहसील द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या 17/43 श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 177 मध्ये 0.520 है0, खेत नं0 179 मध्ये 0.570 है0, खेत नं0 184 मध्ये 0.069 है0, खेत नं0 273 मध्ये 0.190 है0, खेत नं0 198 मध्ये 0.320 है0, खेत नं0 209 मध्ये 1.754 है0, खेत नं0 225 मध्ये 0.418 है0, खेत नं0 714 मध्ये 1.199 है0 इस प्रकार कुल 5.040 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, द्वाराहाट तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 03 जनवरी,2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–2152/ग्यारह–09/2023–24 दिनांकः 03 जनवरी,2024

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा।
4– तहसीलदार, द्वाराहाट।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

नकल खतौनी

फसली–

ग्राम– कुन्थाड़ी पटवारी क्षेत्र, मल्ली मिर्गई तहसील–द्वाराहाट, जिला–अल्मोड़ा।

श्रेणी– 5(3)ड – बंजर काबिल आबाद

खाता संख्या	नाम खातेदार	फ0	खेत नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
01	02	03	04	05	06	07 से 13
17/43	बंजर का0 आबाद		1	0.903		जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं0 2152/ग्यारह-07/ 2013-24 दिनांक 03 जनवरी 2024 से ग्राम - कुन्थाड़ी पट्टी/प0क्षेत्र मल्ली मिर्गई के गैर ज0वि0 खाता सं0 17/43 श्रेणी 5(3)ड-बंजर काबिल आबाद के खेत सं0 177 मध्ये 0.520 हे0 खेत सं0 179 मध्ये 0.570 हे0 खेत सं0 184 0.069 हे0 खेत सं0 273 मध्ये 0.190 हे0 खेत सं0 198 मध्ये 0.320 हे0 खेत नं0 209 मध्ये 1.754 हे0, खेत नं0 225 मध्ये 0.418 हे0 खेत नं0 714 मध्ये 1.199 हे0 कुल 5.040 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित। नामान्तरित की,
			2	0.935		
			3	0.501		
			क्रमशः ↓			
			177	0.585		
			179	0.631		
			184	0.069		
			186	0.021		
			189	0.055		
			198	0.379		
			201	0.010		
			209	1.941		
			225	0.468		
			273	0.190		
			↓ क्रमशः ↓	↓ क्रमशः ↓		
			711	0.023		
			714	1.399		
			716	0.006		
			↓ क्रमशः ↓	↓ क्रमशः ↓		
			2208	0.029		
			2214	1.333		
			2215	0.310		
			2221	0.018		
			2235	0.239		
			2259	0.434		
	योग		516	72.713		

ह0 अ0
राजस्व उपनिरीक्षक
मल्ली मिर्गई

छायाप्रति सत्यापित

महोदय, नकल खतौनी तैयार की
राजस्व उपनिरीक्षक